बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका सं०–2/नियुक्ति–01/2023– /स्वा०, पटना, दिनांक– / /2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या–10000, दिनांक–10.07.2015 के आलोक में विभागीय आदेश ज्ञापांक 2232(2) दिनांक–12.12.2023 द्वारा डा0 उमेश प्रधान, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा), राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके सेवानिवृति (30.11.2023) के उपरान्त संविदा के आधार पर दो वर्ष के लिए नियोजित किया गया था। अग्रेतर विभागीय आदेश ज्ञापांक 1154(2), दिनांक–08.07.2025 द्वारा डॉ0 प्रधान की संविदागत सेवा को दिनांक–30.11.2026 (70 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि) तक विस्तारित किया गया था।

2. महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक–57063, दिनांक–25.06.2026 द्वारा किये गये अनुरोध के आलोक में डा0 उमेश प्रधान, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा), राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को 70 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि–30.11.2026 के उपरान्त इन्हें राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना में अगले 02 (दो) वर्ष के लिए संविदा विस्तारित किया जाता है।

3. संविदा नियोजन अवधि में डा0 प्रधान को सभी पदीय शक्तियाँ (वित्तीय शक्तियाँ सहित) प्राप्त होंगी।

4. संविदा अवधि में डा0 प्रधान को आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सरकारी सेवकों की भाँति क्षतिपूर्ति अवकाश भी अनुमान्य होगा।

5. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०–10000, दिनांक–10.07.2015 के आलोक में निर्गत विभागीय आदेश ज्ञापांक 2232(2) दिनांक–12.12.2023 एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक 1154(2), दिनांक–08.07.2025 में वर्णित सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगे।

6. डा0 प्रधान के संविदा विस्तार किये जाने संबंधी प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–28.10.2026 के मद संख्या–30 के रूप में स्वीकृत है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/नियुक्ति–01/2023–2662(3)/स्वा०, पटना, दिनांक– 9/11/2026

प्रतिलिपि : सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक–28.10.2026 के मद संख्या–30 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/सभी विशेष सचिव/सभी अपर सचिव/सभी संयुक्त सचिव/सभी उप सचिव स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/सभी अवर सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना को उनके पत्रांक–पत्रांक–57063, दिनांक–25.06.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : डा0 उमेश प्रधान, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी (संविदा), राजकीय औषधालय, पटना उच्च न्यायालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः श्री अमित कुमार, डेटा एनालिस्ट, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Manmohan 9/11/26
सरकार के उप सचिव।

2662(2)
9/11/26